Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2913/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री मनसुख मांडविया की ओर से, मैं राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) परिनियम, 2019 जो 27 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 355 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2914/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (संशोधन) नियम, 2020 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2915/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केंद्रीय भण्डारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2916/17/21]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 559(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2917/17/21]

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1202(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2918/17/21]

(4) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020, जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020, जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 496(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2919/17/21]

(5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 450(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) प्रतिरूप नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती का तरीका, नियुक्ति की प्रक्रिया,पदावधि, त्यागपत्र और हटाया जाना) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020, जो 23 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा.का.नि. 488 (अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 23 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(नौ) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/सीसीपीआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/एमआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (कार्य का आवंटन और संचालन) विनियम, 2020, जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं.1-1/2020-सीसीपीए में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/एसीआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2920/17/21]

(6) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2921/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री जी. किशन रेड्डी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 (2005 का संख्यांक 2) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 3/132/एफडी/डीएमएन/2020/ई-156562 जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत यथाविहित कर दर को बहाल किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2922/17/21]

(2) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय नियम, 2020, जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 3423 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

(तीन) अधिसूचना सं. 230/1/20/2020-डब्ल्यूएस-तीन जो 1 अक्तूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के आरंभ होने की तारीख से डा. जयंतकुमार मगनलाल व्यास की राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2923/17/21]

(3) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नियम, 2020, जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 3422 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

(तीन) अधिसूचना सं. 23011/93/2020-बीपीआरएण्डडी जो 1 अक्तूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से डा. बिमल पटेल को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(चार) अधिसूचना सं. 23011/98/2020-बीपीआरएण्डडी जो 4 दिसम्बर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के उसमें उल्लिखित शासी निकाय की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2924/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री परषोत्तम रुपाला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2925/17/21]

(3) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2926/17/21]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2927/17/21]

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2928/17/21]

(7) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2582 (अ), जो 4 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में नए कीटनाशक को सम्मिलित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2929/17/21]

(8) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2020 जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 953(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2020 जो 30 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1404(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन) आदेश, 2020 जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2390(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 2930/17/21]

(9) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2931/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1255 (अ), जो 13 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सोसाइटी के रूप में कापार्ट के विघटन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में इसके विलय के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2932/17/21]

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2309 (अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-दो में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो के पैरा 27 में "आम आदमी बीमा योजना" के स्थान पर "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" वाक्यांश शामिल करना है।

(दो) का.आ. 2198 (अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक के पैरा 4 में "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक" के उपबंध को शामिल करना है।

[Placed in Library, See No. LT 2933/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री अनुराग ठाकुर की ओर से, मैं शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति – दिसम्बर, 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई पर 35वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2934/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री नित्यानंद राय की ओर से, मैं विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 695 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 11 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 17 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2935/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री रतन लाल कटारिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2936/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रताप चंद्र षड्डंगी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2937/17/21]

…(<u>व्यवधान</u>)